न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 94 / 2017

1 बृजमोहन उम्र 27 वर्ष पुत्र भगवानाराम जाति बलाई निवासी खण्डेलसर तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 रामेश्वर पुत्र मांगू।
2 पतासी देवी पत्नी गोरूराम।
3 दड़की देवी पत्नी भगवानाराम।
4 सुशील पुत्र भगवानाराम।
5 कैलाश पुत्र भगवानाराम।
6 महिपाल पुत्र भगवानाराम।
7 नारूराम पुत्र माधुराम।
8 चूकी देवी पत्नी छोटूराम।
9 सोहन पुत्र छोटूराम।
10 बाबूलाल पुत्र छोटूराम।
11 जगदीश पुत्र नारायण।
12 दड़की देवी पत्नी मूलचन्द।
13 अर्जुन पुत्र मूलचन्द।
14 दीपचन्द पुत्र मूलचन्द।
15 गिरधारी पुत्र माधुराम समस्त जाति बलाई निवासीगण ग्राम खण्डेलसर तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
16 तहसीलदार तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
17 पटवारी हल्का रेवासा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
18 उप पंजीयक कार्यालय पलसाना जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अपील विरूद्व आदेश सहायक कलेक्टर दांतारामगढ़
जिला सीकर दिनांक 11.09.2017 बउनवानी बृजमोहन
बनाम रामेश्वर आदि प्रकरण संख्या 09/2016

उपस्थिति :

1. श्री राजेश चौधरी, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री अमरचन्द गोयल, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः– 14.09.21

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर दांतारामगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 09/2016 में पारित निर्णय दिनांक 11.09.2017 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में रेस्पोडेंट ने भूमि खसरा नम्बर 2711,2712,2713,2715,1229/1,1229/5 बाबत उदघोषणा बंटवारा रिकार्ड दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया है। विचारण न्यायालय में आवेदन आदेश 7 नियम 11 सीपीसी प्रस्तुत हुआ। इस आवेदन पर विचारण न्यायालय ने उभयपक्ष को सुनकर विचाराधीन निर्णय से वाद वादी खारिज किया है। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय को आदेश 7 नियम 11 के बिन्दु पर तनकी कायम कर उभयपक्ष के साक्ष्य प्राप्त कर बाद सुनवाई निर्णय पारित करना था। विचारण न्यायालय ने विधिक प्रकिया की पालना किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित किया है। विवादित भूमियां वादी अपीलांट की पैतृक एवं कब्जे शुद्वा थी। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नही है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विवादित भूमि के पुराने खसरा नम्बर 1229 का पूर्व में रकबा 79 बीघा 8 बिस्वा था जिन पर कई काश्तकारों का कब्जा काश्त था पूर्वजों के समय से ही मांगू पुत्र लूणा का 25 बीघा भूमि पर अलग से कब्जा काश्त था। मांगू पुत्र लूणा का परिवार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने से पूर्व से अलग से कृषि कार्य कर अपना जीवनयापन करता था। मजबूका ठिकाना से खातेदारी राजस्थान सरकार को प्राप्त होने के पश्चात भी मांगू पुत्र लूणा अपनी कृषि भूमि 25 बीघा पर काबिज रहा तथा समय समय पर लगान अदा करता रहा तो तत्कालीन सक्षम पीठासीन अधिकारी के आदेश कमांक 7452 दिनांक 04.10.1969 की पालना करने पर नामान्तकरण संख्या 542 के द्वारा मांगू पुत्र लूणा को उक्त वाद वर्णित 25 बीघा भूमि के खातेदारी अधिकार प्राप्त हुए है जिसकी वादीगण के पूर्वजों को व वादीगण को सदैव से जानकारी थी। मांगू की मृत्यु के बाद विरासत नामान्तकरण संख्या 1384 से खातेदारी मांगू की पत्नी के नाम से दर्ज हुई तथा उक्त पत्नी केशरी की मृत्यु के बाद विरासत के नामान्तकरण खातेदारी प्रतिवादी रामेश्वर को प्राप्त हुई है। प्रतिवादी अपने खाते, कब्जे काश्त की कृषि भूमियों पार सतत एवं प्रकट रूप से काबिज है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद के कथनों के अनुसार वाद वर्णित कृषि भूमियां वादीगण के पूर्वजों द्वारा भगवाना जाट से कय अंकित कर रहे है जिसका कोई रजिस्टर्ड विकय पत्र पत्रावली में मौजूद नहीं है इससे निश्चित तौर से साबित है कि वादीगण

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

का वाद वर्णित कृषि भूमियों से कोई सम्बन्ध सरोकार नहीं है तथा ना ही वादीगण कोई वाद कारण उत्पन्न हुआ है। विचारण न्यायालय में विचाराधीन निर्णय पारित करने में कोई विधिक त्रुटि नही की है विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में ए.आई.आर. 2016 राजस्थान पेज 89 का न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किया है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि जमाबंदी संवत 2070–73 खाता संख्या 80 के खसरा नम्बर 2711 ता 2713, 2715 किता 4 कुल रकबा 6.32 हैक्टेयर वाके ग्राम प्रेमसिंहपुरा प.मं. रैवासा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर की खातेदारी रामेश्वर पुत्र लूणा जाति बलाई निवासी खण्डेलसर के नाम से है तथा संवत 2032–34 की खसरा गिरदावरी में उपकृषक कालम में मांगू पुत्र लुणा बलाई निवासी खण्डेलसर के नाम से रही है। पूर्व में उक्त विवादित आराजियात राजस्व ग्राम रैवासा में अवस्थित रही है उक्त भूमि मांगू पुत्र लुणा के नाम आंवटन होने पर खातेदारी संवत 2023–26 में मांगू पुत्र लुणा के नाम दर्ज हुई इसके बाद विरासत से मांगू के बजाय केशरी बेवा मांगू के नाम विरासत से आई है एवं केशरी बेवा मांगू कौम बलाई निवासी खण्डेलसर की मृत्यु होने पर खातेदारी रामेश्वर पुत्र मांगू के नाम से हुई है। वादीगण उक्त विवादित आराजियात भगवाना पुत्र काना जाट से क्रय करना बताते है जबकि उक्त विवादित आराजियात मांगू पुत्र लुणा के नाम आंवटित हुई है तथा उनकी मृत्यु पश्चात विरासत से केशरी बेवा मांगू तथा केशरी की मृत्यु होने पर रामेश्वर पुत्र लुणा के नाम चली आ रही है। अंतिम खसरा गिरदावरी संवत् 2032–34 में वादीगण के पूर्वज का काश्त कॉलम में नाम नहीं है इससे स्पष्ट है कि विवादित आराजियात पर वादीगण का एवं उनके पूर्वज का कोई कब्जा काश्त नहीं है इसलिए जब विवादित आराजीयात पर कब्जा काश्त नहीं है तो वाद कारण कैसे उत्पन्न हुआ, वादीगण के प्रस्तुत दस्तावेजात से स्पष्ट नहीं है। इस सन्दर्भ में विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत ए.आई.आर 2016 राजस्थान

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

पेज 89 में माननीय उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि " (B) Rajasthan Tenancy Act(3 of 1955), S. 183, Sch. 3 Entry 23- Relief of eviction - Limitation - Erstwhile Khatedar herself consciously giving away possession of khatedari land to 'G' - After death of 'G', his successor came to be recorded as khatedar - Suit for his eviction filed by daughter of erstwhile khatedar after lapse of 12 years - Barred by limitation (Para 10)

उपरोक्त विवेचन एवं न्यायिक दृष्टांत की रोशनी में विचारण न्यायालय ने वादी का वाद आदेश 7 नियम 11 के तहत खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नही की है। अत इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नही समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 14.09.21 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर